

न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी


पीठासीन अधिकारी:- श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :- 21 / 2025

अपीलांत  
महिपाल पुत्र भरमल राम जाति  
विश्वनोई जाति विश्वनोई निवासी  
झरडासर तहसील बाप जिला  
फलौदी

बनाम


रेस्पोंडेंटस  
उपतहसीलदार शेखासर



निर्णय

दिनांक:- 30/12/2025

1. यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 91 में दर्ज उपतहसीलदार शेखासर के प्रार्थना पत्र संख्या 130 / 2025 निर्णय दिनांक 30.10.2025 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की है।
2. अपीलांत की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि उपतहसीलदार शेखासर द्वारा प्रार्थी को एक नोटिस इस अनाधिकृत सरकारी भूमि पर अतिचार का पटवारी राणेरी के मार्फत दिया जिसमें दिनांक 10.10.2025 की तारीख मुकर थी। खसरा नंबर 903 / 779 रकबा 10 बीघा भूमि का अपीलांत को अतिचारी माना एवं प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30.10.2025 को प्रार्थी / अपीलांत को बिना सुने प्रार्थी / अपीलांत को सजा सुनाई जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांत ने अपील की मियाद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।
3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंटस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। उपतहसीलदार शेखासर से मूल रेकॉर्ड तलब किया गया। जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।
4. अधिवक्ता अपीलांत ने अपनी बहस में बताया कि दिनांक 08.10.2025 को उपतहसीलदार शेखासर द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत अपीलांत / अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जिसकी दिनांक 10.10.2025 थी दिनांक 10.10.2025 को नोटिस तामील / अदम तामील पत्रावली में प्राप्त होना नहीं बताया, परन्तु दिनांक 30.10.2025 को अपीलांत को अनुपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अपीलांत को कोई नोटिस नहीं

  
जिला कलक्टर  
फलौदी

दिया गया बिना सुने अपीलांट को सजा सुनाई गई जो निरस्त योग्य है। निर्णय हल्का पटवारी द्वारा दिए गए नोटिस में पश्चातवर्ती अतिक्रमण का अंकन किया परन्तु पत्रावली में पूर्व में दिए गए सजा के संवाधी किरसी तरह की कोई फर्द या निर्णय के प्रति संलग्न नहीं है। अपीलांट को न तो विधिवत नोटिस प्राप्त हुआ न ही जबाब का अवसर प्राप्त हुआ न ही हल्का पटवारी से साक्ष्य में जिरह का अवसर प्राप्त हुआ समस्त कार्यवाही बाले-बाले एक तरफा की गई जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की जांच एवं अपीलांट विधिवत सुनवाई एवं सुने बिना पारित निर्णय दिनांक 30.10.2025 निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे।

5. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं उपतहसीलदार शेखासर से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर विचार मनन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पटवारी हल्का राणेरी एवं भू.अ. निरीक्षक शेखासर द्वारा मौके की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्ध होता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस दिनांक 26.09.2025 को जारी किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकॉर्ड के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त नोटिस अपीलांट के भाई मनीष के द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त नोटिस पटवारी द्वारा तामील करवाया गया है। दूसरा तर्क यह है कि पत्रावली में पटवारी हल्का राणेरी व भू. अभिलेख अधिकारी शेखासर की अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकॉर्ड में अतिक्रमण की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम झड़ासर के खसरा संख्या 903/779 रकबा 10 बीघा भूमि पर तारबंदी कर कब्जा बताया गया है। उक्त रिपोर्ट अनुसार पटवारी एवं भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना उल्लेखित किया गया है। तहसीलदार के आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संवत् 2081 में भी अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 903/779 रकबा 03 बीघा में अतिक्रमण किया गया था। अपीलांट को बार-बार बेदखल किये जाने के बावजूद भी राजकीय भूमि पर पुनः कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अतः अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। दोनों तर्कों पर नायब तहसीलदार का आदेश सही होना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड शीघ्र लौटाया जावे।  
निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 सरेइजलास सुनाया गया।

श्वेता चौहान

(आई.ए.एस.)

जिला कलेक्टर फलोदी